


विषय : पुरानी टूटी-फूटी अलमारीयां, कुर्सीयां, टेबल तथा रैक इत्यादि को नीलामी द्वारा बेचने बारे।

सहायक निदेशक ट्रेनिंग कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा प्लॉट न०. 7, सैक्टर 14, पंचकूला के प्रांगण में दिनांक 07.10.2017 को बाद दोपहर 1:00 बजे पुरानी टूटी-फूटी अलमारीयां, कुर्सीयां, टेबल तथा रैक इत्यादि को नीलामी द्वारा बेचा जाना है। इसलिए आप से अनुरोध है कि नीलामी की शर्तों को इस विभाग की वेब साईट पर डालने का कष्ट करें।

  
उप निदेशक (लेखा)

सेवा में

✓ सहायक निदेशक, ट्रेनिंग

अशा: कमांक: टी0आर0जी0/सी0टी0/नीलामी/2017-18/20211 दिनांक 23/9/18



Haryana Skill Development and  
Industrial Training Directorate,  
Headquarters: Chandigarh

नीलामी सूचना/शर्तें

सूचित किया जाता है कि निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा, प्लॉट न0 7, सैक्टर 14, पंचकूला के प्रांगण में दिनांक 07.10.2017 को बाद दोपहर 1:00 बजे पुराना नाकारा सामान जैसे टूटी-फूटी अलमारीयां, कुर्सीयां, टेबल, रैक तथा वाटर कूलर इत्यादि को खुली बोली द्वारा बेचा जाना है। बोली की शर्तें निम्न लिखित हैं:-

1. प्रत्येक बोली दाता से सिक्योरिटी के रूप में 10,000 रुपये की राशि मौके पर नकद जमा करवाई जाएगी।
2. बोली कितने रुपये से शुरू की जाएगी यह मौके पर बताया जाएगा।
3. अन्तिम बोली के निर्णय उपरान्त सफल बोली दाता अपने खर्चे पर सारा नाकारा सामान कर Load-unload करवाएगा।
4. बोली की प्रक्रिया पूर्ण होने से 2 दिन के भीतर सारा नाकारा सामान बोलीदाता को उठाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बोली देने वाले बोलीदाताओं की बोली यदि उचित न समझी गई तो बिना कारण बताए बोली रद्द करने का गठित की गई कमेटी को पूरा अधिकार होगा।
6. बोली की पूरी प्रक्रिया को बिना कारण बताए रद्द करने, नियम शर्तें बदलने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7. सफल बोलीदाता को बोली राशि पर GST अलग से भरकर विभाग को रसीद दिखानी होगी।

उप निदेशक (लेखा)  
कृते: निदेशक कौशल विकास एवं  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।